न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/314

बालचन्द आत्मज नन्दलाल उर्फ नन्दा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 15.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटासुआं तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 1200 की 0.68 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 1264 की 0.22 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि पर वादी के पिता का व वादी का पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज है जिस पर वादी पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से काश्त करता चला आ रहा है इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही की जाती रही है जिसमें वादी जुर्माने की राशि जमा करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी सिवायचक हटाई जाकर वादी के खाते में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि से वादी को बेदखल नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 35–40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और वह कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । सीपीसी की पालना नहीं की है । पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट को बिना सूचना एवं सुनवाई के उक्त डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.06.2018 को वकील साहब के बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 35–40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट ने अपने प्रतिकूल कब्जे के बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य पेश की थी फिर भी दावा खारिज किया गया है । दावा खारिज करने से पूर्व प्रतिवादी से जवाब नहीं लिया गया है । सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सरकारी सिवायचक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की प्रार्थना की है । कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी नहीं दी जा सकती । दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा सरकारी सिवायचक आराजी पर पिछले 35 वर्षों से अपना कब्जा बताते हुए प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/314

बालचन्द आत्मज नन्दलाल उर्फ नन्दा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 202/दावा/2001

बालचन्द आत्मज नन्दलाल उर्फ नन्दा जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08. 06.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

15/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा